

कार्यालय आदेश

शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(9)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 21.08.2025 के अनुसरण में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 18503-520 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा जोधपुर संभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों को किये गये भुगतान में अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में भौतिक सत्यापन दल संख्या 25 जोधपुर के निम्न सदस्यों को तत्काल प्रभाव से विशेष जांच दल में लगाया जाता है।

1. श्री उम्मेद सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, (प्रभारी, भौ.स. दल सं. 25, जोधपुर) सदस्य
2. श्री कुशल राम, कनिष्ठ लेखाकार, (सदस्य, भौ.स. दल सं. 25, जोधपुर) सदस्य

Sd/
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) /2025-26/ 2158-171
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :- 23.9.25

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. संयुक्त निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, संभाग जोधपुर।
7. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
8. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री उम्मेद सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, प्रभारी, भौ.स. दल सं. 25, जोधपुर/श्री कुशल राम, कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य, भौ.स. दल सं. 25, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान जांच कार्य को स्थगित करते हुये तत्काल उपरोक्तानुसार विशेष जांच दल में कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)